भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1183

27.07.2026 को उत्तर के लिए

सामुदायिक नेतृत्व वाले वृक्षारोपण अभियान

1183. श्रीमती शांभवी :

डॉ. लता वानखेड़े :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में, विशेषकर बिहार और मध्य प्रदेश में, प्रभावित करने वाली अत्यधिक ग्रीष्मकालीन लू (हीटवेव) और बढ़ते तापमान से निपटने के लिए कंक्रीट से बने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी कामगारों और आम नागरिकों के लिए कोई विशेष कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आवासीय शहरों में प्राकृतिक शीतलन क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाले सघन सार्वजनिक शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नगर निकायों को सार्वजनिक पैदल पथ और सामान्य खेल के मैदानों के किनारे सजावटी पौधों की तुलना में चौड़ी पत्ती वाले छायादार देशी वृक्षों की प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निम्न-आय वाले शहरी पड़ोसी क्षेत्र में प्रायोजित सामुदायिक नेतृत्व वाले वृक्षारोपण अभियानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हाउसिंग सोसायटियों को वर्टिकल गार्डन (उर्ध्वाधर उद्यान) विकसित करने और छतों को हरा-भरा बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): सरकार ने अत्यधिक ग्रीष्मकालीन लू तथा बढ़ते तापमान के प्रभावों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में लू सहित 17 प्रमुख आपदाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें विस्तृत दायित्व मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है, जिसमें रोकथाम, तैयारी, शमन, कार्रवाई तथा रिकवरी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में लू के निवारण एवं प्रबंधन हेतु कार्य-योजना तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया। ये दिशानिर्देश लू-प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य, जिला तथा शहर स्तर पर लू कार्य-योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करते हैं, ताकि लू की परिस्थितियों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। इन दिशानिर्देशों में संवेदनशीलता आकलन का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से बुजुर्गों, बच्चों, खुले वातावरण में कार्य करने वाले श्रमिकों, शहरी गरीबों तथा अन्य जोखिमग्रस्त समूहों सहित संवेदनशील आबादी की पहचान की जाती है तथा उनके लिए उपयुक्त शमन एवं तैयारी संबंधी उपाय निर्धारित किए जाते हैं। दिशानिर्देशों में शहरीकरण के कारण बढ़ते तापीय तनाव के प्रभाव की पहचान करते हुए निर्मित पर्यावरण के आकलन का भी प्रावधान किया गया है, ताकि शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव में योगदान देने वाले कारकों की पहचान की जा सके तथा शहरी नियोजन एवं विकास में दीर्घकालिक ताप शमन उपायों को शामिल करने की अनुशंसा की जा सके, जिनमें हरित आवरण का विस्तार, शीतित छतों तथा शीतित सड़कों को बढ़ावा देना, जल निकायों का संरक्षण, वायु संचार गलियारों में सुधार तथा जलवायु-अनुकूल भवन एवं भूमि उपयोग संबंधी प्रणालियों को अपनाना शामिल है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा दिशानिर्देशों में खुले वातावरण में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा अनौपचारिक शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार, बिहार तथा मध्य प्रदेश सहित सभी लू-प्रभावित राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य स्तरीय लू कार्य-योजनाएँ तैयार कर ली हैं और उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं।

इसके अलावा, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन तथा अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के अंतर्गत बिहार एवं मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पार्कों, हरित क्षेत्रों तथा शहरी जल निकायों का विकास किया जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों की जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा मिल सके। अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन मित्र पहल के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह वृक्षारोपण तथा पार्कों एवं हरित क्षेत्रों के रखरखाव का कार्य करते हैं। इसके अलावा, पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत शहरी हरितीकरण संबंधी पहलों को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बिहार में शहरी हरित क्षेत्रों का विकास भी शामिल है।

सरकार नगर वन योजना का भी कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2026-27 की अवधि में देशभर में 600 नगर वन तथा 400 नगर वाटिकाओं का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य वनों के बाहर वृक्षों की संख्या तथा हरित आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय लाभों को बढ़ाना तथा शहरी एवं परिधीय शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि से केंद्रीय अनुदान मुख्यतः बाड़बंदी, मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों तथा संबंधित गतिविधियों, प्रशासनिक कार्यों, वृक्षारोपण तथा उसके रखरखाव की लागत को वहन करने के लिए प्रदान

किए जाते हैं। भारत शीतलन कार्य-योजना के अंतर्गत सरकार वाणिज्यिक, कार्यालयी तथा आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण एवं संधारणीय भवन संहिता को अपनाकर निष्क्रिय शीतलन उपायों को बढ़ावा देती है। यह संहिता ऊर्जा-कुशल भवन संरचना तथा क्रॉस-वेनटीलेशन रणनीतियों पर बल देती है, जिससे शीतलन की आवश्यकता कम हो तथा नए भवनों की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सके।

सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वृक्षारोपण तथा हरित आवरण बढ़ाने में सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करती है। इनमें 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रमुख है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में वृक्ष लगाने तथा वृक्षारोपण गतिविधियों में व्यापक जनभागीदारी के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।
